ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश चंद	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति बीना कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव:-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	01.04.14 से 20.04.16
2	श्री कुलदीप कुमार	20.04.16 से 24.06.16
3	श्री जगपाल सिंह	25.06.16 से 15.09.16
4	श्री कुलदीप कुमार	16.09.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर	0.03
2	पैरा-4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	1.68

3	पैरा-4.4	पंचायत के बैंक खाते निजी बैंक में खोलने बारे	-
4	पैरा-5	अनुदान का उपयोग न करना	21.26
5	पैरा-7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/ स्टोर का क्रय करना	-
6	पैरा-8	निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना	-
7	पैरा-9	वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर करने से हानि	0.10

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 17.05.17 से 20.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	11/2014
2015-16	03/2016	06/2015
2016-17	03/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 375 दिनांक 20.05.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उक्त शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या 200981 (KCCB) दिनांक 24.05.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चमयाणा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत:- ग्राम पंचायत चमयाणा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	247307	29887	277194	12527	264667
2015-16	264667	30569	295236	15642	279594
2016-17	279594	31076	310670	30513	280157

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत चमयाणा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	432536	1868054	2300590	1681630	618960
2015-16	618960	1612832	2231792	1384148	847644
2016-17	847644	3451368	4299012	2173140	2125872

4.1 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹280157

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2125872

₹2406029

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹ 2408647.51

हस्तगत राशि : ₹ 425

अन्तर की राशि : ₹ 3043

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) KCCB-63359	522746
GEN. (A) KCCB-05035	255633.33
IAY, KCCB-32725	716
AAY, KCCB-00314	263
IPH, PNB-11497	825.24
GEN (A), PNB-11488	43495
SBM, PNB-41443	2071

14th FC, HDFC-94701	840414
13th FC, PNB-11503	643324.94
SBM, HDFC-93977	99159
MNREGA, CANARA-04199	0
कुल राशि	**2408647.51**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत चमयाणा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹3043 का अन्तर था जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4.1 में वर्णित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाये।

4.3 बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही का लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹168473 जमा थे एवं इन खातों का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इन खातों से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इन खातों के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इन खातों में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः इन खातों को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इनका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इनमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके। खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	**दिनांक 31.03.17 को जमा राशि**
KCCB- Sujanpur 20042038979 (Haryali Gram Kosh)	98340
KCCB- Sujanpur 20042046708 (Mid Himalayan)	38035
KCCB- Sujanpur 20042046719 (Mid Himalayan)	32098

4.4 पंचायत के बैंक खाते निजी बैंक में खोलने बारे:-

जांच में पाया कि पंचायत के 14th FC एवं SBM के खाते निजी बैंक एचडीएफ़सी सुजानपुर में खोले गये थे, जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/91-V दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है । उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी । अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक की शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें ।

5 **अनुदान ₹21.26 लाख का अवरोधन:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2125872 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

6 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

क्र०सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2014-15	नि. दो कमरे, GHS कनरेड
2	-do-	नि. दो कमरे, GHS चमयाणा
3	2015-16	नि. महिला मण्डल भवन, घिरण्ड
4	-do-	नि. जंज घर, घण्डोली

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	38 दिनांक 24.11.14	Bill No. - Dated -, M/s Punjab Singh	निर्माण सामग्री	49500.00	नि. लिंक रोड शमशान घाट, चमयाणा
2	43 दिनांक 27.11.14	Bill No. - Dated -, M/s Ramesh Chand	निर्माण सामग्री	6000.00	नि. पक्का रास्ता मेन रोड से S.C. बस्ती, लाहड़ी
3	75 दिनांक 01.02.15	Bill No. 2157 Dated 13.02.15, M/s Rana trading company	स्टील	41770.00	नि. दो कमरे, GHS कनरेड
4	85 दिनांक 09.03.15	Bill No. - Dated -, M/s Ashwani Kumar	निर्माण सामग्री	31200.00	नि. सुरक्षा दीवार सम्पर्क मार्ग नजदीक औंकार चन्द के घर
5	22 दिनांक 17.06.15	Bill No. 4 Dated 15.03.15, M/s Raghbir Singh welding works	ग्रिल	5850.00	नि. दो कमरे, GHS चमयाणा
6	25 दिनांक 25.06.15	Bill No. - Dated -, M/s Gurdev Singh	ईंटें	58500.00	नि. दो कमरे, GHS कनरेड
7	29 दिनांक 03.07.15	Bill No. 3395 Dated 28.05.15, M/s Rana trading company	स्टील	28080.00	-do-
8	30 दिनांक 03.07.15	Bill No. 3515 Dated 08.06.15, M/s Rana trading company	स्टील	12050.00	-do-
9	52 दिनांक 24.08.15	Bill No. 4064 Dated 05.08.15, M/s Rana trading company	स्टील	28180.00	-do-
10	53 दिनांक	Bill No. 4034 Dated 01.08.15, M/s Rana	स्टील	34030.00	नि. महिला मण्डल

	24.08.15	trading company			भवन, घिरण्ड
11	101 दिनांक 29.12.15	Bill No. 0213 Dated 01.09.15, -	निर्माण सामग्री	11445.00	-do-
	13th FC				
12	1 दिनांक 05.06.15	Bill No. 912 Dated 01.06.15, M/s New Thakur Furniture Industry	ईंटें	7500.00	नि. जंज घर, घण्डोली
	MNREGA				
13	25 दिनांक 29.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Ranjit Singh	निर्माण सामग्री	15000.00	नि. Soil Protection Work in land, बख्शी राम
14	26 दिनांक 29.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Ranjit Singh	निर्माण सामग्री	14000.00	नि. सम्पर्क मार्ग स्कूल से मस्त राम के घर तक
15	27 दिनांक 29.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Ranjit Singh	निर्माण सामग्री	14700.00	नि. लिंक रोड पक्का, कमलेश के घर से दिलावर के घर तक।
16	30 दिनांक 31.10.14	Bill No. 6678 Dated 12.07.14, M/s Rana trading company	स्टील	9330	नि. जल संग्रहण टैंक नजदीक जोगी दास के घर
17	33 दिनांक 31.10.14	Bill No. - Dated -, M/s Uttam Chand	निर्माण सामग्री	9000.00	नि. Soil protection work, जमीन प्रदूमन
18	19 दिनांक 25.06.15	Bill No. - Dated -, M/s Ranjit Singh	निर्माण सामग्री	9800.00	नि. सम्पर्क मार्ग मेन रोड से जगदीश के घर तक ।

8 निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-

" नि. लिंक रोड, मेन रोड से जगदीश चंद के घर तक (मनरेगा) :

माप पुस्तिका 5339 पृष्ठ 17-18 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित	बजरी की अपेक्षित मात्रा

	मात्रा	
P/L C:C 1:5:10, 33.62 CUM	33.62 X 2.60 = 87 बैग	33.62 X 0.89 = 30 CUM OR 1059 CFT
P/L C:C 1:3:6, 2.73 CUM	2.73 X 4.40 = 12 बैग	2.73 X 0.89 = 2.43 CUM OR 85.81 CFT
कुल अपेक्षित खपत	99 बैग	1145 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 99 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 52 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था एवं बजरी की अपेक्षित खपत लगभग 1145 CFT स्थान पर 850 CFT (17 trolly X 50 cft) की गई थी । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें ।

9 वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर करने से ₹9900/- की हानि :-

चयनित माहों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर किया गया था, जिससे पंचायत को हानि हुई थी । अलग-2 दरों में किए गए क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

माह 11/2014 में क्रय सामग्री का विवरण	माह 03/2015 में क्रय सामग्री का विवरण
वाउचर संख्या 38 दिनांक 24.11.14, Bill No. - Dated -, M/s Punjab Singh बजरी 900 cft @ ₹30/- ₹27000/- पत्थर 750cft @ ₹ 30/-₹22500/-	वाउचर संख्या 85 दिनांक 09.03.15, Bill No. - Dated -, M/s Ashwani Kumar बजरी 950 cft @ ₹24/-₹22800/- पत्थर 350cft @ ₹24/- ₹8400/-

उक्त क्रय से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में अलग-2 दरों पर निर्माण सामग्री का क्रय करके पंचायत निधि को हानि पहुंचाई गई थी । अतः वाउचर संख्या 38 दिनांक 24.11.14 में किये गए अधिक भुगतान ₹9900 (बजरी 900 cft @ ₹6 ₹5400, पत्थर 750cft @ ₹6 ₹4500) बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करने के साथ-2 अन्य माहों में इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की गणना अपने स्तर पर करके उनकी भी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया

गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि पंचायत द्वारा क्रय की गई अलग-2 प्रकृति की सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर के एक ही पृष्ठ में कर दिया गया था, जिससे इस बात का पता नहीं चल सका कि पंचायत के पास किसी वस्तु की कितनी मात्रा है । उदाहरण के रूप में पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 105 दिनांक 13.01.16 में मैसर्ज गणपती ट्रेडिंग कंपनी से बिल संख्या 74 दिनांक 13.01.16 द्वारा 40 कुर्सियाँ, 1 अलमारी एवं 1 मेज के क्रय के एवज में ₹30000 का भुगतान किया था एवं फ़र्निचर भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ-19 में इन सभी मदों का इन्द्राज कर दिया गया था । अतः अलग-2 प्रकृति की सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर के अलग-2 पृष्ठ में करना सुनिश्चित करें ।

12 लघु आपति विवरणिकाः- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्षः-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)15/2017–खण्ड–1–4837–4840,
दिनाँक,03.08.17 शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर

भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046